



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 576]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2013—पौष 7, शक 1935

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

क्र. एफ 22-28-2013-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मंजिली गाड़ी अनुज्ञा पत्र के अन्तर्गत आने वाले और नीचे विनिर्दिष्ट मार्ग पर अनन्य रूप से चलाए जा रहे, समस्त लोक सेवा यानों को, कर के संदाय से उस सीमा तक आंशिक रूप से छूट प्रदान करती है जिससे कि ऐसे यानों पर, इस अधिसूचना का मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद चार की उप मद (ग) में विनिर्दिष्ट दर पर, कर देय हो:—

मार्ग

जबलपुर से बरेला

No. F-22-28-2013-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, partially exempts all public service vehicles covered under stage carriage permits and plying solely on the route specified below, from the payment of tax to the extent that the tax on such vehicles shall be payable at the rate specified in sub-item(c) of item IV of First Schedule of the said Act with effect from the date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

ROUTE

Jabalpur to Barela

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनू तिवारी, अपर सचिव.